न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 60/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/118

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
आई.डी.एफ.सी. फस्ट बैक लिमिटेड, के आर एम टॉवर्स, सांतवां तल, नं. 1 हैरिंगटन रोड़, चेटपेट, चैन्नई– 600031		1. गोविन्द लाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी– पट्टा संख्या 47, बुक संख्या 01, ग्राम दताउ, तहसील लाडनूं, जिला डीडवाना–कुचामन। 2. मनोज देवी, जाति ब्राहम्ण, निवासी– पट्टा संख्या 47, बुक संख्या 01, ग्राम दताउ, तहसील लाडनूं, जिला डीडवाना–कुचामन।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित :–

1. श्री जमन लाल जांगिड़ अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री महावीर प्रजापत अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांकः 17.03.2025

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को रूपये 500000/–**(अक्षरे पांच लाख रूपये मात्र) दिनांक 03.08.2021** को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति– गोविन्द लाल मालिक सम्पति आबादी पट्टा नं0 47, बुक संख्या 01, ग्राम दताउ, तहसील लाडनूं में स्थित** है। जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो सम्पति के अभिन्न अंग है जिसका माप **2680 वर्ग फुट है तथा** आस पडौस निम्न है– उत्तर में :– स्वयं की भूमि, दक्षिण में :– आम रास्ता, **पूर्व में:– स्वयं की भूमि, पश्चिम में:– राधेश्याम शर्मा,** जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 08.01.2023** को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में **रूपये 459496.33/–(अक्षरे चार लाख उनसाठ हजार चार सौ छियानवे रूपये तैतीस पैसे मात्र) दिनांक 13.12.2023 तक शेष देय दिनांक 14.12.2023 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रा[illegible] ऋणी/अप्रार्थी को **दिनांक 13.12.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये ग[illegible] अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न[illegible] प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर अन्दर ऋण राशि **रूपये 45[illegible]/–(अक्षरे चार लाख उनसाठ हजार चार सौ छियानवे रूपये [illegible]स पैसे मात्र) दिनांक 13.[illegible]** तक शेष

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.21 12:33:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

देय दिनांक 14.12.2023 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया हैं।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से वकील श्री महावीर प्रजापत ने वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण का पूर्व में न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 03.09.2024 को निस्तारण किया जा चुका है। एक ही प्रकार के दावेदार व प्रकरण से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र दोबारा उसी न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता। वकील अप्रार्थी ने निर्णय की प्रति भी पेश की है।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रकरण पूर्व में दिनांक 03.09.2024 को इसी न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी बैंक ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, उसमें पूर्व में खारिज हुए प्रार्थना पत्र का कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रार्थी बैंक ने पूर्व में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये थे, उन्ही दस्तावेजों के आधार पर नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी बैंक ने 13 (2) के नोटिस जो पूर्व में दिनांक 13.12.2023 को जारी किये गये थे उन्ही की प्रतियां पत्रावली में पेश की हैं। प्रार्थी बैंक ने 13 (2) का नया नोटिस भी जारी नहीं किया है।

प्रार्थी बैंक की ओर से आंचल शर्मा द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। आंचल शर्मा के शपथ पत्र में विवरण अपूर्ण है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उपरोक्त कमियों की पूर्ति करते हुए नया प्रार्थना पत्र पेश कर सकते है।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.21 12:33:37 IST
Reason: SelfAttested